टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

दिनांक 26.12.2024

कार्यालय आदेश सं.19/2024

टी बोर्ड उपनियम 1955 की धारा 45 एवं 46 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बोर्ड के दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र, कर्सियांग की दैनिक गतिविधियों की देखरेख के लिए डॉ. अनिर्बान बसु मजूमदार, अनुसंधान अधिकारी, दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र, कर्सियांग के पक्ष में निम्नलिखित वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां इस शर्त पर सौंपी हैं कि वह उक्त कार्यालय का अग्रदाय लेखा का अनुरक्षण करेंगे एवं चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम, 1954, टी बोर्ड उपनियम, 1955 एवं कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णयों के प्रावधानों का भी पालन करेंगे।

1.	प्रति अवसर किसी एक मद पर 10,000/- रुपये तक के व्यय की स्वीकृति (विकास कार्य के अलावा)
2.	अग्रिम राशि 5,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (विकास कार्य के अलावा)।
3.	प्रत्येक मामले में किसी भी राशि के लिए चेक पर हस्ताक्षर करें (विकास कार्य के अलावा) जहां बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से मंजूरी दी गई है। ऐसे सभी मामलों में, भुगतान वाउचर के साथ मुख्यालय के स्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न होनी चाहिए।
4.	जब भी आवश्यकता हो, किराया, कर, नगरपालिका/जल शुल्क, बिजली/टेलीफोन बिल आदि के भुगतान के लिए सटीक राशि की सीमा तक एकल चेक पर हस्ताक्षर करें।
5.	बोर्ड की गैर-योजना एवं संबंधित योजना स्कीम के संबंध में बैंक खाते संचालित करना;
6.	बोर्ड के डीटीआर एंड डीसी, कर्सियांग से संबद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में छुट्टियां (विशेष छुट्टी को छोड़कर) स्वीकृत करना, जिसमें स्वयं को छोड़कर सभी संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं।
7.	स्वयं को छोड़कर बोर्ड के डी.टी.आर.एंड.डी.सी., कर्सियांग से संबद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारी सदस्यों के पक्ष में टी.ए./एल.टी.सी. अग्रिम स्वीकृत करना।
8.	स्वयं को छोड़कर बोर्ड के डीटीआर एंड डीसी, कर्सियांग से संबद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारी सदस्यों के दौरा कार्यक्रम को मंजूरी देना।

तथापि, डॉ. अनिरबन बसु मजूमदार, अनुसंधान अधिकारी, डीटीआर एंड डीसी, कर्सियांग को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय अनुशासन एवं विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के मानदंडों का पालन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि धनराशि का अपव्यय न हो।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण :-

1.	डॉ. अनिर्बान बसु मजूमदार. अनुसंधान. डीटीआर एंड डीसी, सिलीगुड़ी	
2.	श्री अनुपम दास, उ.नि.चा.वि.	
3.	उ.नि.चा.वि.,टी बोर्ड, सिलीगुड़ी	
4.	मु.स.अ./स.अ.	
5.	नि.चा.वि.	
6.	उपाध्यक्ष/वि.स.एवं मु.ले.अ./नि.चा.वि.एवं सचिव के निजी सहायक	
7.	आई.टी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
8.	टीबीईए	
9.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

संदर्भ. मिसिल सं. 7(1)/स्था/2019/भाग- III